IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

18 जुलाई 2019

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Notice of 15th AGM of IDBI Bank

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of 15th AGM of IDBI Bank along with Annual Report for the FY 2018-19, being issued to the Members of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीय
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

18/07/19

[पवन अग्रवाल]
म.प्र. एवं कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन-(022) 66552779
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in,
वेबसाइट: www.idbibank.in]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 15वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2019 को बैंक के एकल और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

   ''संकल्प किया जाता है कि जारी किए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार (i) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है. उपर्युक्त नियुक्तियाँ/पुनर्नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे."

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Phone-(022) 66552779
e-mail:idbiequity@idbi.co.in,
website:www.idbibank.in]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 15th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Tuesday, August 20, 2019 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Standalone & Consolidated Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2019 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;

2. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for the Financial Year 2019-20 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2019-20 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

विशेष कारोबार

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 11,000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज़ के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन, ईएसपीएस, ईएसओपी और / या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of shareholders of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating upto ₹ 11000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/ members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, ESPS, ESOP and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/guidelines."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जा जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 9 मई 2019 के पत्र द्वारा तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 (1), 161(3) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10बी तथा 35 बी के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116 (1)(i) की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 मई 2019 को संपन्न अपनी बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार (डीआईएन 03628755) की 13 मई 2019 से 3 वर्षों के लिए अथवा जब तक वे एलआईसी के

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Director or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Mangalam Ramasubramanian Kumar (DIN 03628755), as Non Rotational Director and Non Executive Non Wholetime Chairman on the Board of IDBI Bank Ltd. for 3 years w.e.f. May 13 2019 or till such time he continues as LIC Chairman, whichever is earlier, as approved by RBI vide letter dated May 09, 2019 and by the Board at the meeting

अध्यक्ष बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में अनावर्ती निदेशक तथा गैर कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 7 मार्च 2019 के पत्र द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक पर तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 (1), 196, 203 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10बी तथा 35 बी के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116 (1)(ii) की शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 19 मार्च 2019 को संपन्न अपनी बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार और कारोबार की इस मद से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार श्री राकेश शर्मा (डीआईएन 06846594) की 19 मार्च 2019 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में अनावर्ती निदेशक तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) और 160 (1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116 (1) (vii) के अनुपालन में श्री पंकज जैन (डीआईएन 00675922) की बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति जो अपने सेवाकाल के दौरान आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के दायी होंगे, को अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) और 160 (1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116 (1) (vii) के अनुपालन में श्री सुधीर श्याम (डीआईएन 08135013) की बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति जो अपने सेवाकाल के दौरान आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के दायी होंगे, को अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) और 160 (1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116 (1) (vii) के अनुपालन में श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन 02509203) की बोर्ड में नियुक्ति जो एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप

dated May 13, 2019, in terms of Article 116(1)(i) read with Sections 160(1), 161(3) of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Rakesh Sharma (DIN 06846594), as Non Rotational Director and Managing Director & CEO on the Board of IDBI Bank Ltd. for 3 years w.e.f. March 19, 2019 at the remuneration approved by RBI vide letter dated March 07, 2019 and by Board at the meeting dated March 19, 2019 and elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1)(ii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Pankaj Jain (DIN 00675922) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Sudhir Shyam (DIN 08135013) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT the appointment of Shri Rajesh Kandwal (DIN 02509203) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(vii) read with

में अपने सेवाकाल के दौरान आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के दायी होंगे, को अनुमोदित किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है.

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

''संकल्प किया जाता है कि श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन 00603925), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(10) की शर्तों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड में 28 अगस्त 2015 से लगातार 4 वर्षों के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो 27 अगस्त 2019 को अपना प्रारंभिक कार्यकाल पूरा करेंगे, जिन्होंने पात्र होने के नाते तथा एनआरसी और बोर्ड की सिफारिश पर अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है, को 28 अगस्त 2019 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे एवं अंतिम कार्यकाल हेतु बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे."

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि श्री दीपक सिंघल (डीआईएन 08375146), जिन्हें संस्था के अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड द्वारा एनआरसी की सिफ़ारिश पर 28 फरवरी 2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि 15वीं वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होनी है तथा जिनके बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की की धारा 160 के अधीन बैंक निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ और एनआरसी तथा बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1)(vi) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा आरंभ में, 28 फरवरी 2019 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे.''

11. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT Shri Gyan Prakash Joshi (DIN 00603925) who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f August 28, 2015 and who would be completing his initial term on August 27, 2019 and, in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, being eligible, who on recommendation of NRC and Board, has offered himself for re-appointment, be and is hereby re-appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank for the second and last term of 4 consecutive years w.e.f. August 28, 2019."

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution :

"RESOLVED THAT Shri Deepak Singhal (DIN 08375146) who on recommendation of NRC was appointed as Additional Director by the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. February 28, 2019 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 15th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank, was received and the NRC and Board recommended his appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. February 28, 2019."

11. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution :

''संकल्प किया जाता है कि श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन 08377808), जिन्हें संस्था के अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड द्वारा एनआरसी की सिफारिश पर 5 मार्च 2019 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि 15वीं वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होनी है तथा जिनके बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की की धारा 160 के अधीन बैंक निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है और एनआरसी तथा बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की है, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) तथा बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116 (1)(vi) की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे तथा आरंभ में, 5 मार्च 2019 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे.''

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लि.

(राकेश शर्मा)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 06846594)

पंजीकृत कार्यालयः
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई 400 005.
दिनांकः 27 जून 2019

"RESOLVED THAT Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN 08377808) who on recommendation of NRC was appointed as Additional Director by the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. March 05, 2019 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who ceases to be such Director on the date of 15th Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank, was received and the NRC and Board recommended his appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. March 05, 2019."

By Order of the Board
for IDBI Bank Ltd.

(Rakesh Sharma)
MD & CEO
(DIN 06846594)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 27, 2019

टिप्पणियां:

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें वोट देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है, लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में वोट देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.
2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast

करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम दस प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त करे तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

(क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

(ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी की नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

(ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति बैठक में भाग लेने के समय अपनी पहचान का प्रमाण देगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति को बैठक में भाग लेने के समय अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लाना होगा.

(घ) यदि व्यक्ति को पचास से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है तो ऐसा प्रॉक्सी किन्हीं पचास सदस्यों

his vote through e-voting. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

(a) It is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

(b) It is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving Licence or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

(d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty

को चुनेगा और निरीक्षण के लिए निर्दिष्ट अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व अर्थात् 18 अगस्त 2019 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पूर्व बैंक को उसकी पुष्टि करेगा. यदि ऐसा प्रॉक्सी सूचना नहीं दे पाता है तो बैंक प्राप्त पहले पचास प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

3. सदस्यों/ प्रॉक्सियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरे हुए पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी फिनटेक प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779/3062/3336/3147/2711 ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

   i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

   ii) बैंक वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब आधारित ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्य, जो पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं

Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3.30 p.m. (IST) on August 18, 2019. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) personally present in the meeting.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Fintech Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No. (022) 66552779 / 3062 / 3336 / 3147 / 2711, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

   i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

   ii) The Bank is providing facility for Tab based e-voting at the venue of AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by

दे पाए हैं, एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

iii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

iv) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 14 अगस्त 2019 से मंगलवार, 20 अगस्त 2019** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक 13 अगस्त 2019 (दिनांत), जो तारीख रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा के स्थान पर वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के https://www.evoting.nsdl.com/पर लॉग-इन करें.

चरण 2: एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करें.

चरण 1 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''Shareholders'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् ''Cast your vote electronically'' की तरफ बढ़ सकते हैं.

remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.

iii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, August 14, 2019 to Tuesday, August 20, 2019** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on August 13, 2019 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting at the AGM venue.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

Step 1 : Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details of Step 1 are given below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12 ********** है तो आपका यूजर आईडी 12 ********** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करने की जरूरत है और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ़ फाइल खोलें. पीडीएफ़ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ़ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तो आपका प्रारंभिक पासवर्ड आपके डाक पते पर भेजा जाएगा.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तोः

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/Password?'' पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर ''Physical User Reset Password?'' विकल्प उपलब्ध है (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं).

ग) यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असफल हैं तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए ''Agree to Terms and Conditions'' पर टिक करें.

8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा.

9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

चरण 2 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है ?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे. ''e-voting'' पर क्लिक करें. इसके बाद ''Active Voting Cycles'' पर क्लिक करें.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) "Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details of Step 2 are given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. ''Active Voting Cycles'' पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'', जिनमें आप शेयर धारण करते हैं और जिनके वोटिंग साईकिल सक्रिय स्थिति में हैं, देख पाएंगे.
3. आप उस कंपनी का ''EVEN'' चुने जिनके लिए आप मतदान करना चाहते हैं.
4. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
5. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् ''Assent'' या ''Dissent'' (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें, आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते है उनकी संख्या सत्यापित/ संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.
6. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.
7. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर ''Print'' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
8. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें औरउसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physical User Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.
3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' देखें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेल करें.
4. ई-वोटिंग गुरुवार, 15 अगस्त 2019 को (भारतीय समय के अनुसार सुबह 9.00 बजे) प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 19 अगस्त 2019 को (भारतीय समय के अनुसार शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 05 जुलाई 2019 के बाद और 13 अगस्त 2019 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in
4. E-Voting period commences on and from Thursday, August 15, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, August 19, 2019 (5.00 p.m. IST)

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of AGM Notice, i.e., July 05, 2019 and upto August 13, 2019 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders).

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 05 जुलाई 2019 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 13 अगस्त 2019 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 13 अगस्त 2019 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक महासभा के स्थान पर टैब वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो वे अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/ Password'' या ''Physical User Reset Password?'' का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 13 अगस्त 2019 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password'' या ''Physical User Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 19 अगस्त 2019 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तुरंत बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 13 अगस्त 2019 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी फिनटेक प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा

Persons who have acquired shares during the period from July 05, 2019 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 13, 2019 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of August 13, 2019, can exercise their voting right through remote e-voting or Tab voting at the venue of AGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 13, 2019.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, August 19, 2019 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 13, 2019, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Fintech Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552779/ 3336/ 3062/ 3147/ 2711) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

10. ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं, को वार्षिक महासभा के स्थान पर अपना वोट डालने के लिए टैब वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी.

11. बैंक एजीएम की कार्यवाही की एकतरफा लाइव वेबकास्ट की सुविधा प्रदान कर रहा है. जो सदस्य एजीएम में भाग लेने के हकदार हैं, वे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉग इन करके अपने सुरक्षित लॉगइन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर एजीएम की कार्यवाही देख सकते हैं. सदस्यों को वेबकास्ट की इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

12. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल या उनके न होने पर सुश्री मालती कुमार को नियुक्त किया है.

13. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 22 अगस्त 2019 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन प्रस्तुत करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक/ कार्वी को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआई आरएसडी/डीओपी1/सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार,

Cell, Board Department, 22nd Floor, B-Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3336 /3062 /3147 /2711) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

10. Tab voting will be provided at the venue of AGM, to the Members who have not cast their vote through remote e-voting.

11. The Bank is providing the facility of one way live webcast of proceedings of AGM. Members who are entitled to participate in the AGM can view the proceeding of AGM by logging on the e-voting website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/ using their secure login credentials. Members are encouraged to use this facility of webcast.

12. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Ms. Malati Kumar, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

13. The result of e-voting alongwith Scrutinizer's Report will be announced on or before August 22, 2019 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

14. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ Karvy.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION :

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer

जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.

03 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2011-12 (अंतिम) के अदावित लाभांश को निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2011-12 (अंतिम) के लिए लाभांश का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

04 सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने अथवा वार्षिक महासभा के आयोजन स्थल पर टैब वोटिंग के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जो सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख 13 अगस्त 2019 को शेयरों के लाभार्थी स्वामी हैं.

company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03 As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2011-12 (final) to the Fund. The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2011-12 (final) are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

04 SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of August 13, 2019, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or Tab voting at the venue of the AGM.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 2

बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. एम. पी. चितले, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 101851डब्ल्यू) और के एस अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं.100186डब्ल्यू) तथा जे एल एन यू एस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, वड़ोदरा (फर्म पंजीकरण सं.101543डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईडीबीआई बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 15वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगा जा रहा है. चूंकि रिजर्व बैंक की मंजूरी में समय लग सकता है, अतः यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके वार्षिक महासभा द्वारा बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त/ पुनर्नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय, शाखाओं और अन्य कार्यालयों के खातों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग सहित लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए व्यय और लागू दरों पर कर सहित ₹ 2,81,00,000/- (₹ दो करोड़ इक्यासी लाख मात्र) वार्षिक पारिश्रमिक/ शुल्क प्रस्तावित है. तथापि, उपर्युक्त लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा. प्रस्तावित शुल्क इस संबंध में आरबीआई के निर्देशों के अधीन तथा के अनुसार भी होगा.

निदेशक मंडल वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं.2 में निहित सामान्य संकल्प पारित किये जाने की सिफारिश करता है. कोई भी निदेशक या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं

2. सूचना की मद सं. 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 13 अगस्त 2018 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 12 अगस्त 2019 तक वैध है.

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

1. Item No. 2 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. M.P. Chitale, Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.101851W), K S Aiyar & Co., Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.100186W) and J L N U S & Co., Chartered Accountants, Vadodara (Firm Regn. No.101543W) were appointed /re-appointed as Statutory Central Auditors of IDBI Bank for the year 2018-19. These Auditors will hold office till the conclusion of 15th AGM. Approval of RBI is being sought for appointment/ re-appointment of Statutory Central Auditors of the Bank for the year 2019-20. Since RBI approval may take time to be granted, it is proposed that by passing ordinary resolution under section 139 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Board may be authorized by the AGM, to appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for FY 2019-20 and appoint / re-appoint Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2019-20 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received from RBI in this regard. Presently, the annual remuneration / fee is proposed at ₹ 2,81,00,000/- (Rupees Two Crore Eighty One Lakh only) plus outlays and taxes at the applicable rates, for the purpose of audit including reporting on internal financial controls, of the Bank's accounts at its head office, branches and other offices. However, the terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The proposed fees would also be subject to and in line with the directions of RBI in this regard.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.2 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.3 of the Notice

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 13, 2018 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year upto August 12, 2019 in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए आरबीआई, भारतीय जीवन बीमा निगम और/ अथवा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, से आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के के साथ पठित है, बशर्ते कि जब भी बैंक द्वारा दोबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों या अन्य को आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल ₹11,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) "संगत तारीख" से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(ii) The Bank will obtain requisite approval, if any, of RBI, LIC and/or Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro- rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹11,000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) अधिकार निर्गम के मामले में, आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार, अग्रणी प्रबंधक (कों) से परामर्श के बाद निर्गम मूल्य के बारे में निर्णय लिया जाएगा.

(xi) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और अधिकार निर्गम या क्यूआईपी सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 , कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस उद्देश्य के लिए, बैंक को शेयरधारकों से विशेष संकल्प के जरिये सहमति लेनी आवश्यक है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 3 में दिए गए संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

3. सूचना की मद संख्या 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री मंगलम रामसुब्रणियन कुमार को आरबीआई के दिनांक 9 मई 2019 के पत्र के द्वारा अनुमोदन के अनुसार और दिनांक 13 मई 2013 की बोर्ड की बैठक द्वारा दिनांक 13 मई 2019 से 3 वर्ष के लिए या जब तक वह एलआईसी अध्यक्ष के रूप में हैं, इनमें से जो भी पहले हो, आईडीबीआई बैंक के अनावर्ती निदेशक और बोर्ड में गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री कुमार को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री कुमार की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री कुमार बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं. श्री कुमार

(x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP.

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No.3 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.4 of the Notice

Shri Mangalam Ramasubramanian Kumar has been appointed as Non Rotational Director and Non Executive Non Whole time Chairman on the Board of IDBI Bank for 3 years w.e.f. May 13, 2019 or till such time he continues as LIC Chairman, whichever is earlier as approved by RBI vide letter dated May 09, 2019 and by the Board at the meeting dated May 13, 2019. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Kumar himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Kumar as Chairman. Shri Kumar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Kumar

बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. बोर्ड, अपने द्वारा अनुमोदित शर्तों पर श्री एम.आर. कुमार को दिनांक 13 मई 2019 से गैर-कार्यपालक, गैर - पूर्णकालिक अध्यक्ष और अनावर्ती निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है.

श्री एम.आर. कुमार का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री एम. आर. कुमार ने 14 मार्च 2019 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था. वे 1983 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे. साढ़े तीन दशक से अधिक के कैरियर में, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के तीन अंचल अर्थात् दक्षिणी अंचल, उत्तर मध्य अंचल और उत्तरी अंचल के प्रमुख, क्रमशः चेन्नई, कानपुर और दिल्ली के प्रमुख पद पर रहने के विशेष दायित्व के निर्वहन का अवसर प्राप्त हुआ है. उन्होंने दो प्रतिष्ठित डिवीजन अर्थात् पश्चिमी अंचल में अहमदाबाद और दक्षिणी अंचल में एर्नाकुलम में वरिष्ठ प्रभागीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया था. वे कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) और क्षेत्रीय प्रबंधक (पी एवं आईआर) भी थे. कार्यपालक निदेशक के रूप में वे निगम के कार्मिक विभाग और साथ ही साथ पेंशन एवं समूह बीमा वर्टिकल के प्रमुख रहे. उनके कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के हित के लिए कई पहल कार्य किए गए. संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, जिसमें भारत के केंद्रीय स्थल शामिल हैं, उनके कार्य करने के गहन अनुभव के कारण कानपुर अंचल में प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए उन्हें जनसांख्यिकी और बीमा संभावनाओं पर गहरी जानकारी मिली है. इसके अतिरिक्त जीवन बीमा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात् प्रशासनिक, विपणन, समूह एवं सामाजिक प्रतिभूतियों में कार्य करने से उन्हें जीवन बीमा उद्योग में कार्यविधि व प्रक्रियाओं पर समृद्ध ज्ञान एवं स्पष्टता का दोहरा लाभ प्राप्त हुआ है. श्री. कुमार के पास आईडीबीआई का कोई शेयर नहीं है. वे मानव संसाधन के विशेषज्ञ हैं. वे एलआईसी हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड के नामिती निदेशक हैं.

4. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2019 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अनावर्ती निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है. दिनांक 07 मार्च 2019 के आरबीआई अनुमोदन के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री राकेश शर्मा का पारिश्रमिक ₹ 2,24,400 प्रति माह होगा और उस पर लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान में 9%) मिलेगा तथा परिलब्धि सुविधाओं के रूप में शहर प्रतिपूरक भत्ता, किराया रहित सुसज्जित आवास सुविधा, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए कार, आतिथ्य व्यय, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा व्यय, छुट्टी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए लागू अन्य लाभ व शर्तें उनके लिए लागू होंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री शर्मा को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री शर्मा की प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री शर्मा का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी

shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Board recommends the appointment of Shri M.R Kumar as Non Executive Non Wholetime Chairman and Non Rotational director w.e.f. May 13, 2019 on the Board approved terms.

Shri M.R. Kumar's resume is as under :

Shri M.R. Kumar took charge as Chairman, LIC of India on 14th March, 2019. He joined LIC of India in 1983 as a Direct Recruit Officer. In a career spanning more than three and a half decades, he has had the unique privilege of heading three Zones of LIC of India, viz, Southern Zone, North Central Zone and Northern Zone, head quartered at Chennai, Kanpur and Delhi, respectively. He headed two prestigious divisions i.e. Ahmedabad in Western Zone and Ernakulum in Southern Zone as Sr. Divisional Manager. He was also Regional Manager (Marketing) and Regional Manager (P&IR) at Kolkata and Chennai. As an Executive Director he headed the Personnel Department as well as the Pension and Group Insurance vertical of the Corporation. During his tenure, several initiatives were rolled out for the benefit of the employees. His rich experience of working pan India, right from North to South and East to West including the heartland states of India while heading Kanpur Zone, has given him a deep insight into the demographics and insurance potential of the country. Moreover, working in different streams of life insurance management, viz., administrative, marketing, group and social securities, has given him the twin advantage of enriched knowledge and clarity on processes and procedures in the life insurance industry. Shri Kumar does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in HR function. He is Nominee Director of LIC Housing Finance Ltd.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

Shri Rakesh Sharma has been appointed as MD & CEO and non rotational director for 3 years w.e.f. March 19, 2019. As per RBI approval dated March 07, 2019, the Remuneration of Shri Rakesh Sharma as MD & CEO of IDBI Bank would be ₹ 2,24,400 per month and applicable DA (presently @ 9%) and perquisites such as City Compensatory Allowance, Rent free furnished accommodation, Car for official purpose, Entertainment expenses, Leave Travel Concession, Medical Expenses, Leaves and such other benefits and conditions as applicable to the MD & CEO of Public Sector Banks. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Sharma himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Sharma as MD & CEO. Shri Sharma is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Board recommends the appointment of Shri Rakesh Sharma as MD & CEO and non rotational director

अन्य निदेशक से कोई संबंध नहीं है. बोर्ड अपनी अनुमोदित शर्तों पर 19 मार्च 2019 से श्री राकेश शर्मा को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अनावर्ती निदेशक के रूप में 3 साल के लिए नियुक्ति की सिफारिश करता है.

श्री राकेश शर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री राकेश शर्मा, अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी हैं. वे एसबीआई में विभिन्न जिम्मेदारियों जैसे, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मध्य कॉर्पोरेट खातों के प्रमुख, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुदरा परिचालनों के पर्यवेक्षक के तौर पर कार्य करने, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, विशिष्ट शाखाओं/ प्रशासनिक कार्यालयों में ऋण दायित्व आदि क्षेत्रों के अनुभव के साथ भारतीय स्टेट बैंक में 33 वर्षों से अधिक समय की सेवा के साथ अनुभवी बैंकर हैं. वे एसबीआई में मुख्य महाप्रबंधक पद से लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी एवं सीईओ पद पर नियुक्त हुए और वहाँ 07 अप्रैल 2014 से 09 सितंबर 2015 तक अपनी सेवाएं दीं. वे केनरा बैंक में 11 सितंबर 2015 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक 3 वर्षों की सेवाएं देकर एमडी एवं सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए. केनरा बैंक में अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने केनरा बैंक की समूह कंपनियों में अध्यक्ष का पद भी संभाला. श्री राकेश शर्मा के पास बैंक के 4400 इक्विटी शेयर हैं. वे लेखा शास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, मानव संसाधन और कारोबार प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं.

5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री पंकज जैन भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 02 मई 2016 को नियुक्त किए गए और भारत सरकार द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद धारित करेंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में, उन्हें बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है. वे सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री पंकज जैन को छोड़कर) अथवा, आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री जैन का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं हैं. श्री जैन बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. बोर्ड श्री पंकज जैन की निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है. श्री जैन बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे.

श्री पंकज जैन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री पंकज जैन 1990 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव हैं. वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व छात्र हैं जहां से उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद

for 3 years w.e.f. March 19, 2019 on the Board approved terms.

Shri Rakesh Sharma's resume is as under :

Shri Rakesh Sharma, a Post Graduate in Economics, CAIIB and a seasoned banker with a total stint of over 33 years in State Bank of India (SBI) held various responsibilities in SBI including as Head of mid corporate accounts in Andhra Pradesh region, supervising retail operations in the States of Rajastahan, Uttarakhand & Western UP, banking operations in International Banking Group, credit assignments in specialized branches/ administrative offices, etc. He then moved from the position of Chief General Manager in SBI to Lakshmi Vilas Bank Ltd. as MD & CEO and served there for a period from April 07, 2014 till September 09, 2015. He retired from Canara Bank as MD & CEO after serving for a period of 3 years from September 11, 2015 till July 31, 2018. While in Canara Bank, he also held the position of Chairman in the group companies of Canara Bank. Shri Rakesh Sharma holds 4400 equity shares in the Bank. He has expertise in Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, HR and Business Management.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.6 of the Notice

Shri Pankaj Jain was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. May 02, 2016 and holds office till the pleasure of Govt. of India. In compliance of amended Article 116(1)(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Pankaj Jain himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Jain is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Jain shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board / Committee Meetings. Board recommends the appointment of Shri Pankaj Jain as Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director on the Board.

Shri Pankaj Jain's resume is as under:

Shri Pankaj Jain is an IAS officer of 1990 batch, currently the Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He is an alumnus of Shri Ram College of Commerce from where he has a Bachelor's degree in Commerce followed by an MBA from FMS Delhi. He also has a professional qualification in the discipline of accounting as an Associate of the Institute of Cost Accountants of India. He has worked for the Governments of Assam and

उन्होंने एफएमएस, दिल्ली से एमबीए किया है. उनके पास भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक असोशिएट के रूप में लेखांकन के क्षेत्र में व्यावसायिक योग्यता भी है. उन्होंने असम और मेघालय सरकार के लिए कार्य किया है. इसमें शिलांग और तुरा जिले के मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सचिवालय और राज्य निगमों में बिजली, आयोजना, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका संवर्धन और उद्योगों के कार्यभार शामिल है. वे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक भी रह चुके हैं. उनके कार्य अनुभव में ब्रिटिश इंटरनेशनल ऐड एजेंसी डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) में अभिशासन सलाहकार और वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में तीन साल की सेवा शामिल है. उनकी अभिरुचि के क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है जहां उन्होंने भारतीय खिलौना उद्योग के लिए एक आईपीआर गाइड विकसित करने के लिए यूएनआईडीओ के साथ सहयोग किया है. वह भारत और बांग्लादेश में लघु और मझोले उद्यमों द्वारा आईटी को अपनाने पर राष्ट्रमंडल सचिवालय और एशियाई उत्पादकता संगठन के सलाहकार भी रहे हैं. श्री पंकज जैन के पास आईडीबीआई बैंक का कोई शेयर नहीं है. वे लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, आईटी और कारोबार प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं.

6. सूचना की मद संख्या 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण

श्री सुधीर श्याम को बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में 16 मई 2018 से नियुक्त किया गया था और वे भारत सरकार द्वारा कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद पर बने रहेंगे. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित अनुच्छेद 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव है कि उन्हें बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो अपनी अवधि के दौरान क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सुधीर श्याम को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुधीर श्याम का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है. श्री सुधीर श्याम बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अपने परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे. बोर्ड श्री सुधीर श्याम को निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृति के लिए दायी होंगे.

श्री सुधीर श्याम का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री सुधीर श्याम 1999 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारी हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से स्नातकोत्तर और दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है. उन्होंने 2001 से 2004 की अवधि के दौरान परियोजना प्रबंधन इकाई के आर्थिक मामले विभाग में, 2008 के अंत तक उपभोक्ता मामले विभाग के आंतरिक व्यापार प्रभाग में सहायक निदेशक के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में चार वर्षों (2009-2012) के लिए उप सचिव के रूप में कार्य किया है. अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने 2013 में आर्थिक

Meghalaya. This encompasses being District Magistrate at Shillong and Tura along with assignments in the Secretariat and State Corporations dealing with Power, Planning, Information Technology, Livelihood Promotion and Industries as well as being Director with the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. His work experience also includes a three year stint with the British International Aid Agency - the Department for International Development (DFID) as Governance Adviser and Senior Program Manager. His areas of interest include Intellectual Property Rights where he has collaborated with UNIDO to develop an IPR guide for the Indian Toy Industry. He has also been a consultant to the Commonwealth Secretariat and the Asian Productivity Organisation on adoption of IT by small and medium enterprises in India and Bangladesh. Shri Pankaj Jain does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in Accountancy, Banking, Finance, Small Scale Industry, IT and Business Management.

6. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice

Shri Sudhir Shyam was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. May 16, 2018 and holds office till the pleasure of Govt. of India. In compliance of amended Article 116(1)(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Sudhir Shyam himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Sudhir Shyam is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Sudhir Shyam shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board / Committee Meetings. Board recommends the appointment of Shri Sudhir Shyam as Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director on the Board.

Shri Sudhir Shyam's resume is as under:

Shri Sudhir Shyam is a 1999 batch Indian Economic Service (IES) officer. He has done his graduation in Economics from Delhi University, post graduation and Master of Philosophy from Jawahar Lal Nehru University (JNU). He worked as Assistant Director in the Department of Economic Affairs in the Project Management Unit, during the period from 2001 to 2004, in the Internal Trade Division of Department of Consumer Affairs till the end of 2008, as Deputy Secretary in the Ministry of Rural Development for four years (2009-2012). On completion of his tenure, he joined the Department of Economic Affairs in 2013 and was tasked with human resource management of Indian Economic Service Officers. He later joined Department of Financial Services in 2015

कार्य विभाग में कार्यग्रहण किया जहाँ इन्हें भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के मानव संसाधन प्रबंध का दायित्व सौंपा गया था. इसके बाद उन्होने 2015 में वित्तीय सेवाएं विभाग में कार्यग्रहण किया और वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. उनके दायित्वों में, अन्य के साथ-साथ, चुनिंदा बैंकिंग विधानों की देखरेख, बैंकों द्वारा एजेंसी कारोबार, वित्तीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामले आदि शामिल हैं. पूर्व में वे 2015 से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के भारतीय स्टेट बैंक में विलयन के समय तक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक मंडल में भी रहे. श्री सुधीर श्याम के पास आईडीबीआई बैंक का कोई भी शेयर नहीं है. वे कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र और मानव संसाधन के विशेषज्ञ हैं.

7. सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री राजेश कंडवाल को 21 जनवरी 2019 से एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया और वे एलआईसी द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद पर बने रहेंगे. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित अनुच्छेद 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव है कि उन्हें एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया जाए जो अपनी अवधि के दौरान क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह उल्लेख किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक (स्वयं श्री राजेश कंडवाल को छोड़कर) या आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है. श्री कंडवाल बैंक के बोर्ड में किसी निदेशक या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं रखते है. श्री कंडवाल बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था के लिए प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे. बैंक श्री राजेश कंडवाल को बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफ़ारिश करता है जो अपनी अवधि के दौरान आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे.

श्री राजेश कंडवाल का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार :

श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन 02509203) (वनस्पति विज्ञान) में एम. एससी, भारतीय बीमा संस्थान के असोशिएट सदस्य, कार्मिकी में डिप्लोमा और निदेशकों के संस्थान, दिल्ली द्वारा एक अधिप्रमाणित कॉर्पोरेट निदेशक हैं. वे 1981 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधे अधिकारी के रूप में भर्ती हुए थे. भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने 37 वर्ष से भी अधिक के कार्यकाल के दौरान वे परिचालन, विशेषकर विपणन में थे. उनके पास शाखा, प्रभाग तथा अंचल स्तर पर विपणन का भरपूर अनुभव है. उनके पास कॉर्पोरेट संप्रेषण/ अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, बैंकएशुरेंस और कॉर्पोरेट स्तर पर संपदा के क्षेत्र में भी भरपूर अनुभव है. सिंगापुर में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना, नए कॉर्पोरेट पहचान कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा आकर्षक और लुभावने विज्ञापन फिल्मों का निर्माण आदि कॉर्पोरेट में उनके कार्यकाल के स्वर्णिम क्षण रहे हैं. 2011 में उनके कार्यकाल के दौरान निगम ने अखिल भारतीय स्तर पर (संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी भोजन कूपन योजना) एक लाख

and is currently working as Director in the Department of Financial Services (DFS). His responsibilities inter alia include handling of select banking legislations, agency business by banks, matters relating to international cooperation in the financial sector, etc. He has earlier served on the Board of Directors of State Bank of Patiala from 2015 till the merger of State bank of Patiala with State Bank of India. Shri Sudhir Shyam does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics and HR.

7. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.8 of the Notice

Shri Rajesh Kandwal was appointed as LIC's Nominee Director on the Board w.e.f. January 21, 2019 and holds office till the pleasure of LIC. In compliance of amended Article 116(1)(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Rajesh Kandwal himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Shri Kandwal is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Kandwal shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Board recommends the appointment of Shri Rajesh Kandwal as Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board.

Shri Rajesh Kandwal's resume is as under:

Shri Rajesh Kandwal (DIN 02509203) holds M.Sc in (Botany), is an Associate Member of Indian Institute of Insurance, Diploma in Personnel and a Certified Corporate Director by Institute of Directors, Delhi. He had joined Life Insurance Corporation (LIC) of India as Direct Recruit Officer in 1981. During his career of over 37 years in LIC of India, he had been in operations, particularly, Marketing. He has rich experience of driving marketing at Branch, Division and Zone levels. He also has a rich experience of heading Corporate Communication/ International Operations, Bancassurance and Estate at the Corporate level. A few high points during his Corporate stint have been obtaining the approval for opening Representative Office at Singapore, implementation of new Corporate Identity Programme, production of attractive and catchy Ad films, etc. During his tenure, in the year 2011, the Corporation implemented Meal Coupon Scheme for over a lakh employees on Pan India basis (Perhaps World's largest Meal Coupon Scheme). He believes in driving the team with passion and leading by example. He also believes that pursuing Excellence and being Customer Centric are vital to succeed in current Market Scenario. As a head of Training Centre,

से भी अधिक कर्मचारियों के लिए भोजन कूपन योजना का कार्यान्वयन किया. वे दल को जुनून और मिसाल कायम करते हुए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं. वे यह भी विश्वास करते हैं कि वर्तमान बाज़ार संबंधी परिवेश में सफल होने के लिए उत्कृष्टता को प्राप्त करना और ग्राहक केंद्रित होना महत्वपूर्ण है. प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख के रूप में उन्होंने एक नवोन्मेषी प्रशिक्षण मूल्यांकन टूल का निर्माण किया है. एलआईसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बाहरेन के रूप में कार्यकाल के दौरान कंपनी ने 4 वर्षों में कुल आस्तियों में यूएसडी 2 बिलियन की सीमा को पार कर दिया. साथ ही यह आबू धाबी, (यूएई) में जीवन बीमा शाखा संबंधी लाइसेन्स प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है. श्री राजेश कंडवाल के पास आईडीबीआई बैंक का कोई शेयर नहीं है. वे लेखाशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, जोखिम और कारोबार प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं.

8. सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन 00603925) को 28 अगस्त 2015 से 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 27 अगस्त 2019 को अपना 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियम 116(1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री ज्ञान प्रकाश जोशी 4 लगातार वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं. श्री जोशी ने अपनी पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों के अनुसार तथा वर्ष 2018-2019 के लिए संचालित स्वतंत्र निदेशकों संबंधी वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्ताव है कि श्री जोशी को 28 अगस्त 2019 से 4 लगातार वर्षों के लिए दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए तथा वार्षिक महासभा सूचना की मद सं. 9 में दिए गए संकल्प को पारित किया जाए. यह भी नोट किया जाए कि श्री जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और यह है कि निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री जोशी को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री जोशी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री जोशी किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जोशी बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के अनुमोदन के आधार पर, बोर्ड 28 अगस्त 2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जोशी की दूसरी तथा लगातार 4 वर्षों की अंतिम नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है.

he devised an innovative Training Evaluation Tool. During his tenure as a Chief Executive Officer and Managing Director of LIC (International) BSC (C) Bahrain, the Company crossed the mark of USD 2 Billion in total assets, in mere 4 years. Also the only Indian Company to get Life Insurance Branch Licence at Abu Dhabi (UAE). Shri Rajesh Kandwal does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in Accountancy, Finance, HR, Risk and Business Management.

8. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.9 of the Notice.

Shri Gyan Prakash Joshi (DIN 00603925) was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f August 28, 2015 for an initial period of 4 years. He is completing his term of 4 years on August 27, 2019. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Gyan Prakash Joshi is eligible for re-appointment for another term of 4 consecutive years. Shri Joshi has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII(2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2018-19, it is proposed to re-appoint Shri Joshi as Independent Director for another and last term of 4 consecutive years w.e.f. August 28, 2019 and pass the resolution contained under Item No.9 of the AGM Notice. It may be noted that Shri Joshi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management. It may also be mentioned that no Director (other than Shri Joshi himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for re-appointment of Shri Joshi as Independent Director. Shri Joshi is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Joshi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of NRC, Board recommends the appointment of Shri Joshi as Independent Director for the second and last term of 4 consecutive years w.e.f. August 28, 2019.

Shri Gyan Prakash Joshi's resume is as under:

Shri Gyan Prakash Joshi (DIN 00603925) was born

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन 00603925) का जन्म 01 अप्रैल 1955 को हुआ था और वे बीएससी (ऑनर्स), एमएससी, वित्तीय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा हैं. वे वर्ष 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े और वर्ष 2008 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली. उनके पास केंद्र सरकार तथा मणिपुर एवं गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य करने का तीस वर्षों का अनुभव है जिसमें गुजरात सरकार के प्रधान सचिव, गुजरात के राज्यपाल के प्रधान सचिव, गुजरात स्टेट फाइनैन्शियल कॉर्पोरेशन तथा गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के प्रबंध निदेशक, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में निदेशक (वित्त एवं परिचालन), मणिपुर के मुख्यमंत्री के सचिव, उप आयुक्त, उखरुल, मणिपुर तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव जैसे पद शामिल हैं. वे नेशनल अल्युमीनियम कं. लि., हिंदुस्तान कॉपर लि. तथा सराफ फूड्स लि. के बोर्ड में भी रहे हैं. श्री जोशी के पास आईडीबीआई बैंक का कोई शेयर नहीं है. वे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग और जोखिम के विशेषज्ञ हैं.

9. सूचना की मद संख्या. 10 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री दीपक सिंघल (डीआईएन 08375146) को 28 फरवरी 2019 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे निदेशक के रूप में 15वीं वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात् 20 अगस्त 2019 तक पद पर रहेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री दीपक सिंघल से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी सूचित की है. यह प्रस्ताव किया जाता है कि श्री दीपक सिंघल को लगातार 4 वर्ष के आरंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो 28 फरवरी 2019 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से प्रभावी होगा तथा वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 10 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री दीपक सिंघल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और यह कि निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री दीपक सिंघल को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री दीपक सिंघल को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री दीपक सिंघल किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं हैं. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सिंघल बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के अनुमोदन के आधार पर, बोर्ड 28 फरवरी 2019 से श्री दीपक सिंघल की स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार 4 वर्षों के आरंभिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है.

on April 01, 1955 and is B.Sc.(Hons), M.Sc., PG Diploma in Financial Management. He joined the Indian Administrative Service in 1978 and took voluntary retirement in 2008. He has thirty years of experience in various positions in the Central and State Governments of Manipur and Gujarat including as Principal Secretary to Govt. of Gujarat, Principal Secretary to the Governor of Gujarat, MD of Gujarat State Financial Corporation & Gujarat Water Infrastructure Ltd., Director (Finance & Operations) in Gujarat State Petroleum Corporation, Secretary to CM of Manipur, Deputy Commissioner, Ukhrul, Manipur and also as Under Secretary in Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India. He has been on the Boards of National Aluminium Co. Ltd., Hindustan Copper Ltd and Saraf Foods Ltd. Shri Joshi does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in Agriculture & Rural Economy, Finance, Small Scale Industry and Risk.

9. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.10 of the Notice.

Shri Deepak Singhal (DIN 08375146) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. February 28, 2019 and will hold office as such Director upto the date of the 15th Annual General Meeting, i.e. August 20, 2019. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Deepak Singhal signifying his candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Shri Deepak Singhal as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. February 28, 2019 (i.e. the date of his original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.10 of the AGM Notice. It may be noted that Shri Deepak Singhal has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Deepak Singhal, himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Deepak Singhal as Independent Director. Shri Deepak Singhal is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Shri Deepak Singhal shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending meetings. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri Deepak Singhal as Independent Director for the initial term of 4 consecutive years w.e.f. February 28, 2019.

श्री दीपक सिंघल का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री दीपक सिंघल (डीआईएन:08375146) ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से व्यवसाय प्रशासन में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. वे भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं और जयपुर से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर प्रोग्राम पूरा किया है. श्री सिंघल भारतीय रिज़र्व बैंक में 3 दशकों से भी अधिक अनुभव वाले केंद्रीय बैंकर हैं और इन्होंने अनेक चुनौतीपूर्ण एवं विविधतापूर्ण दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा किया है. क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इन्होंने दो वर्षों से अधिक रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण नई दिल्ली कार्यालय का नेतृत्व किया है. रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में इन्होंने बैंकिंग विनियमन, मानव संसाधन प्रबंधन और इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया. इन्होंने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बासेल समिति के मानक कार्यान्वयन समूह में भी रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया. इनके पास विनियमन और पर्यवेक्षण से लेकर मानव संसाधन प्रबंधन एवं वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों का विविधतापूर्ण अनुभव और अंतराष्ट्रीय एक्सपोजर है. वे जनवरी 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. श्री दीपक सिंघल के पास आईडीबीआई बैंक का कोई शेयर नहीं है. वे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन और कारोबार प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं.

10. सूचना की मद संख्या 11 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएन 08377808) को 5 मार्च 2019 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे निदेशक के रूप में 15वीं वार्षिक महासभा अर्थात् 20 अगस्त 2019 तक पद पर रहेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर से नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी उम्मीदवारी सूचित की है. यह प्रस्तावित किया जाता है कि श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर को 05 मार्च 2019 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए तथा वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 11 में निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गये नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और यह कि निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर का किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से

Shri Deepak Singhal's resume is as under :

Shri Deepak Singhal (DIN: 08375146) has a Bachelor's and a Master's Degree in Business Administration from Allahabad University. He is Certified Associate of the Indian Institute of Bankers and has done a Post Graduate Programme in Rural Management from Jaipur. Shri Singhal is a Central Banker with over three decades of experience in RBI and has a record of successful delivery through a range of challenging and diverse assignments. As Regional Director, he headed the crucial New Delhi Office of RBI for over two years. As Chief General Manager at the Central Office of RBI, he headed key functions of Banking Regulation, Human Resources Management and Infrastructure. He also represented RBI on the Standards Implementation Group of the Basel Committee on Banking Supervision. He is having diverse experience and international exposure ranging from Regulation and Supervision to Human Resource Management and Financial Inclusion and Development. He retired as Executive Director of Reserve Bank of India in January 2019. Shri Deepak Singhal does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in Agriculture & Rural Economy, Banking, HR and Business Management.

10. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.11 of the Notice.

Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN 08377808) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. March 05, 2019 and will hold office as such Director upto the date of the 15th Annual General Meeting, i.e. August 20, 2019. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri Sanjay Gokuldas Kallapur signifying his candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. March 05, 2019 (i.e. the date of his original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.11 of the AGM Notice. It may be noted that Shri Sanjay Gokuldas Kallapur has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Sanjay Gokuldas

कोई संबंध नहीं है. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक फीस तथा उनके वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के अनुमोदन के आधार पर, बोर्ड 5 मार्च 2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार 4 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर की नियुक्ति की सिफ़ारिश करता है.

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर (डीआईएनः 08377808) मुंबई विश्वविद्यालय से बी.कॉम, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एम.एम.एस, हावर्ड विश्वविद्यालय से कारोबार अर्थशास्त्र में पीएचडी और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से एसीएमए हैं. श्री कल्लापुर, लेखांकन के प्रोफेसर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) में उप डीन हैं. आईएसबी में कार्यग्रहण करने से पहले, वे अमेरिका के परड्यु विश्वविद्यालय के क्रान्नेर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में असोशिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे. उनके पास स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के शिक्षण का तीस वर्षों का अनुभव है. आईएसबी और परड्यु के अतिरिक्त, उन्होंने अरिजोना विश्वविद्यालय, इरविन में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हॉन्ग कॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलॉजी और सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी में भी शिक्षण कार्य किया हैं. श्री कल्लापुर ने लगभग सभी मुख्य लेखांकन पत्रिकाओं के लिए तदर्थ समीक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं और 2008 से 2011 तक दी अकाउंटिंग रिव्यू के संपादक रहे. वे आस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट और जर्नल ऑफ फाइनेंसियल रिपोर्टिंग के संपादकीय बोर्ड में हैं. वे वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन और लेखा-परीक्षा पर अनुसंधान का संचालन करते हैं और इनमें से प्रत्येक तीन शीर्ष लेखांकन पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके है. वे प्रमुख संचार माध्यमों के लिए भी लिख चुके हैं उनके कार्यों का उल्लेख भारत, यूके और यूएसए के समाचार पत्रों और विनियामकीय नीति दस्तावेजों में किया जा चुका है. श्री कल्लापुर भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड में रह चुके हैं जहां वे लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन एवं पॉलिसीधारक सुरक्षा समितियों के सदस्य थे. वर्तमान में वे अमेरिकन अकाउंटिंग असोशिएशन में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं. वे भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कॉन्सोर्शियम के सदस्य भी हैं. श्री संजय कल्लापुर के पास आईडीबीआई बैंक का कोई भी शेयर नहीं है. वे लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त और जोखिम के विशेषज्ञ हैं.

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते आईडीबीआई बैंक लि.

(राकेश शर्मा)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 06846594)

पंजीकृत कार्यालयः
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई 400 005.
दिनांकः 27 जून 2019

Kallapur as Independent Director. Shri Sanjay Gokuldas Kallapur is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank. As Independent Director, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending meetings. Based on the recommendation of NRC, Board recommends the appointment of Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Independent Director for the initial term of 4 consecutive years w.e.f. March 05, 2019.

Shri Sanjay Gokuldas Kallapur's resume is as under :

Shri Sanjay Gokuldas Kallapur (DIN: 08377808) is a B.Com from University of Mumbai, M.M.S from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Ph.D in Business Economics from Harvard University and ACMA from Institute of Cost Accountants of India. Shri Kallapur is Professor of Accounting and Deputy Dean at the Indian School of Business (ISB). Prior to joining ISB, he was a tenured Associate Professor at the Krannert School of Management, Purdue University, USA. He has thirty years' of experience in teaching at the Bachelor's, Master's and PhD levels. In addition to ISB and Purdue, he has also taught at the University of Arizona, University of California at Irvine, the Hong Kong University of Science & Technology and National University of Singapore. Shri Kallapur has served as an Ad-hoc Reviewer for almost all the major accounting journals and was an editor of The Accounting Review from 2008 to 2011. He is on the editorial boards of the Australian Journal of Management and the Journal of Financial Reporting. He conducts research on financial and managerial accounting and auditing and has published in each of the top three accounting journals. He has also written for the popular media, and his work has been quoted by newspapers and regulatory policy documents in India, UK and the USA. Shri Kallapur has served on the Board of Life Insurance Corporation of India, where he was on the Audit, Risk Management and Policyholder Protection committees. He is currently an International Council Member-at-large of the American Accounting Association. He is also a member of the Corporate Reporting Consortium of the Confederation of Indian Industry (CII). Shri Sanjay Kallapur does not hold any shares of IDBI Bank. He has expertise in Accountancy, Economics, Finance and Risk.

By Order of the Board
for IDBI Bank Ltd.

(Rakesh Sharma)
MD & CEO
(DIN 06846594)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 27, 2019

आईडीबीआई बैंक लि.

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN: L65190MH2004GOI148838

कंपनी का नाम : आईडीबीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005.

सदस्य(यों) का/के नाम	:
पंजीकृत पता	:
ईमेल आईडी	:
फोलियो सं./ ग्राहक आईडी	:
डीपी आईडी	:

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के _____ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____ को अथवा उनके वहां न होने पर,

2. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____ को अथवा उनके वहां न होने पर,

3. नाम : _____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : _____

को यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021 में 20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली और उसके किसी स्थगन पर आयोजित होनेवाली **बैंक की 15वीं वार्षिक महासभा** में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं:

संकल्प संख्या:

1. यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को आईडीबीआई बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (साधारण संकल्प),
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए इस संबंध में आरबीआई से प्राप्त होने वाले अनुमोदन के अनुसार निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प (साधारण संकल्प),
3. क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न माध्यमों से कुल 11,000 करोड़ रु (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के अधीन समर्थकारी संकल्प (विशेष संकल्प),
4. अनावर्ती निदेशक एवं गैर कार्यपालक गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में श्री मंगलम रामसुब्रमणियन कुमार की नियुक्ति का अनुमोदन करना (साधारण संकल्प),
5. अनावर्ती निदेशक तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति का अनुमोदन करना (साधारण संकल्प),
6. निदेशक के रूप में श्री पंकज जैन की नियुक्ति का अनुमोदन करना जो सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे (साधारण संकल्प),
7. निदेशक के रूप में श्री सुधीर श्याम की नियुक्ति का अनुमोदन करना जो सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे (साधारण संकल्प),
8. निदेशक के रूप में श्री राजेश कंडवाल की नियुक्ति का अनुमोदन करना जो एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे (साधारण संकल्प),
9. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी की पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे (विशेष संकल्प),
10. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री दीपक सिंघल की नियुक्ति का अनुमोदन जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे (साधारण संकल्प),
11. स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर की नियुक्ति का अनुमोदन जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे (साधारण संकल्प),

दिनांक _____ माह _____ 2019 को हस्ताक्षरित.

रेवेन्यू स्टाम्प लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर : _____

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर : _____

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् रविवार, 18 अगस्त 2019 को अपराहन 3.30 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.

IDBI Bank Limited

Form No. MGT-11
Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:L65190MH2004GOI148838

Name of the company : IDBI Bank Ltd.

Registered office : IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005.

Name of the member(s)	:
Registered address	:
E-mail Id	:
Folio No/ Client Id	:
DP ID	:

I/We, being the member(s) of _____ shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:_____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____, or failing him
2. Name: _____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____, or failing him
3. Name: _____
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:_____

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **15th Annual General Meeting of the Bank, to be held on the 20th day of August 2019 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1. Adoption of Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2019 together with the Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution);
2. Authorising the Board of Directors to appoint /re-appoint Statutory Central Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2019-20 in line with the RBI approval to be received in this regard (Ordinary Resolution);
3. Enabling Resolution u/s 42, 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹11,000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution);
4. To approve appointment of Shri Mangalam Ramasubramanian Kumar, as Non Rotational Director and Non Executive Non Wholetime Chairman (Ordinary Resolution);
5. To approve appointment of Shri Rakesh Sharma as Non Rotational Director and Managing Director & CEO (Ordinary Resolution);
6. To approve appointment of Shri Pankaj Jain as Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director (Ordinary Resolution);
7. To approve appointment of Shri Sudhir Shyam as Director liable to retire by rotation during his tenure as Govt. Nominee Director (Ordinary Resolution);
8. To approve appointment of Shri Rajesh Kandwal as Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director (Ordinary Resolution);
9. To approve re-appointment of Shri Gyan Prakash Joshi as Independent Director not liable to retire by rotation (Special Resolution);
10. To approve appointment of Shri Deepak Singhal as Independent Director not liable to retire by rotation (Ordinary Resolution);
11. To approve appointment of Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Independent Director not liable to retire by rotation (Ordinary Resolution)

Signed this _____ day of_____ 2019

Affix Revenue Stamp

Signature of shareholder: _____

Signature of Proxy holder(s): _____

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting, (i.e. on or before 3.30 p.m. on Sunday, August 18, 2019).

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम _____ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि वे

- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें अथवा
- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी/ एनएसीएच द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

फोलियो नं.: IDB _____

बैंक खाते का विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	शेयरधारक का ई-मेल आईडी	:	
9.	शेयरधारक का टेलीफोन / मोबाईल नं.	:	

.....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड की परिशुद्धता के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक की फोटो कॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.
2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	**शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :**
कार्वी फिंटेक प्रा. लि. कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना.	संबंधित डिपॉज़िटरी, जहां आपका डीमैट खाता खोला गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति.
3. रद्द रिक्त चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

IDBI BANK

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We _____ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Print the following details on my/our dividend warrant or
- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT/NACH.

(Strike out whichever is not applicable)

Folio No. : IDB_____

Particulars of Bank Account:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of shareholder	:	
9.	Telephone/ Mobile No. of Shareholder	:	

.....

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.

2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:	**In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:**
Karvy Fintech Pvt. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled Blank Cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE